

पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक व वादी के नाम से बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु हाजिर नहीं आये। वकील प्रतिवादी संख्या 2 व 41 उपस्थित आये। अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 व 41 के द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये हुए है वाद विभाजन का है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 व 41 प्रकरण में नियमानुसार अपना काउन्टर क्लेम चलाने हेतु विधिवत कार्यवाही करे। पत्रावली नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 06.11.2017 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

